राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकःएफ.3(1)(21)प्रथम/निर्वा/2014/ जयपुर, दिनांकः

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), टोंक
: रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र टोंक–सवाई माधोपुर

विषय : लोकसभा आम चुनाव 2014 – पुनर्मतदान बाबत।

प्रसंग भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 495/RJ-HP/2014/NS-I दिनांक 26.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न प्रासंगिक पत्र के द्वारा निम्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसके समक्ष अंकित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान करने के निर्देश प्रदान किए हैं :–

S.No.	No. & Name of Parliamentary Constituency	Name of Assembly Constituency	Polling Station No.
1.	12- Tonk-Sawai Madhopur	95-Niwai AC	208

उक्त पुनर्मतदान दिनांक 28.04.2014 (सोमवार) को प्रातः 7.00 बजे से प्रारम्भ होकर सांय 6.00 बजे तक सम्पन्न होगा। इनके लिये कृपया निम्न व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर लें :–

1. पुनर्मतदान की तिथि एवं समय के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एवं संबंधित मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ढ़ोल बजा कर आदि तरीकों से प्रचार–प्रसार किया जावे तथा समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सूचना दी जावे।
2. पुनर्मतदान के लिए मतदाता सूची की चिन्हित प्रति नई प्रयोग में लायी जायेगी।
3. पुनर्मतदान के समय मतदाता की बांयी मध्यमा (Left middle finger) पर अमिट स्याही लगायी जायेगी।
4. आयोग के परिपत्र दिनांक 19.01.2012 के पैरा 9 में वर्णित EVMs के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया की पालना आवश्यक रूप से की जावे :–

9. Instructions in case of Re-poll -

9.1 In case of re-poll, the EVM requried for re-poll shall be drawn from the reserve list and the CU/BU number shall be informed to the candidates/agents in writing. Care shall be taken to ensure that the address tag on the CU and BU clearly mentions it to be the EVM for use in the re-poll indicating the date and AC/PS No.

9.2 After re-poll the strong room shall be re-opened in the presence of the candidates/their agents and observer for the storage of the re-polled EVM. This re-polled EVM should be placed together with the old EVM which was used earlier in the original poll. A tag **'Not to be counted'** shall be put prominently on the old EVM and another tag **'Re-polled EVM - to be counted'** shall be put on the new-repolled EVM. RO shall put signature on both the tags.

9.3 In case of re-poll the unique ID number of the CU and BUs used in re-poll should be entered in the EVM tracking software.

5. मतदान केन्द्र एवं मतदान केन्द्र के क्षेत्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जावे।

6. दिनांक 26.04.2014 को सांय 6 बजे के पश्चात् दिनांक 28.04.2014 को सांय 6 बजे तक की अवधि में मतदान केन्द्र के क्षेत्र में उम्मीदवार एवं मतदाताओं को छोड़कर अन्य राजनैतिक व्यक्ति एवं संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों को नहीं रूकने दिया जावे।

7. पैरा संख्या संख्या 6 में वर्णित अवधि में मतदान केन्द्र क्षेत्र में सूखा दिवस रखा जावे।

8. पुनर्मतदान के क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जावे।

9. मतदान केन्द्र के क्षेत्र की सीमाओं को सील भी किया जावे एवं बाहरी व्यक्तियों की आवा–जाही एवं हथियारों के अवैध परिवहन को रोका जावे।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किये जावें।

11. मतदान दिवस को EVMs के मॉकपोल की सूचना प्रातः 7.30 बजे, मतदान प्रतिशत की सूचना 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे एवं 5 बजे दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. रिटर्निंग अधिकारी की हैण्डबुक में निर्धारित तीन Comprehensive Reports प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. रिटर्निंग अधिकारी की हैण्डबुक के अध्याय 13 के पैरा 13.59 में वर्णित बिन्दुओं की भी पालना की जावे।

14. पुनर्मतदान के सम्बन्ध में पर्यवेक्षक को भी सूचित करें।

15. पुनर्मतदान केन्द्र के समस्त मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अधिकृत एवं बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित फोटो मतदाता पर्ची भी वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(पी.सी. गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ.3(1)(21)प्रथम/निर्वा/2014/ 6592 जयपुर, दिनांकः 26-4-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस (कानून व व्यवस्था), राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
6. महानिरीक्षक पुलिस रेंज, अजमेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।
8. आबकारी आयुक्त, उदयपुर, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

By Fax/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 495/RJ-HP/2014/NS-I **Dated: 26th April, 2014.**

To

The Chief Electoral Officer,
Rajasthan,
Jaipur

Sub: **General Election to the Lok Sabha, 2014 – Rajasthan State – Re-Poll – Regarding.**

Sir,

I am directed to state on the basis of reports submitted, by you, Returning Officer read with the report of the Observer and after taking all material circumstances into account, the Commission hereby declares under sub-section (2) of Section 58 of the Representation of the People Act, 1951 that the poll taken on 24th April, 2014 (Thursday) at polling station mentioned against the Parliamentary Constituency as per details given below to be void and appoints the 28th April, 2014 (Monday) as the date and fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM for taking a fresh poll at the said polling station in accordance with the Commission's instructions contained in Chapter XIII of Hand Book for Returning Officers:-

S. No.	No. & Name of PC	Name of AC	No. of Polling Station
1.	12-Tonk-Sawai Madhopur	95-Niwai	208

2. Please ensure that wide publicity is given by beat of drums in the polling areas of that polling station. Inform the political parties and contesting candidates in writing about the fresh poll being taken on the said date.

3. Kindly inform the Returning Officer/Observer concerned most urgently and instruct them to act accordingly under intimation to the Commission.

4. Kindly acknowledge and confirm action taken.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
PRINCIPAL SECRETARY